अत्यावश्यक/महत्वपूर्ण

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय–व्ययक अनुभाग)

क्रमांक : प.6(9)वित्त–1(1)आ.व्य./2017 जयपुर, दिनांक: 23अप्रैल, 2018

समस्त बजट नियंत्रक अधिकारी,
राजस्थान।

विषय :– महालेखाकार की लेखा पुस्तकों से वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्यय के अंक मिलान (Reconciliation) बाबत।

महोदय,

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर ने अ.शा.पत्र क्रमांक रिपोर्ट (एएडी)/2/(1175)/2018–19/208 दिनांक 16 अप्रैल, 2018 के माध्यम से अवगत कराया है कि उनके द्वारा समय समय पर अंकमिलान की स्थिति सूचित किए जाने एवं निरन्तर स्मरण पत्र जारी किए जाने के उपरान्त भी कतिपय बजट नियंत्रण अधिकारियों के स्तर पर वित्तीय वर्ष 2017–18 के लेखों के अंकमिलान का कार्य निर्धारित समय सारणी अनुसार पूर्ण नहीं किया गया है।

इस सम्बंध में महालेखाकार द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि माह मार्च (प्रारम्भिक) 2018 के लेखे दिनांक 25.04.2018 को बंद कर दिए जायेंगे, परिणामस्वरूप वर्ष 2017–18 के आय–व्यय के अंकमिलान हेतु **अन्तिम तिथि (Cut-off date) 23 मई, 2018 नियत की गई है। उक्त तिथि के पश्चात् लेखों में सुधार सम्भव नहीं होगा । अंकमिलान कार्य पूर्ण नहीं करने के परिणामस्वरूप लेखों में यदि कोई त्रुटि रहती है तो उसके लिए संबंधित विभागाध्यक्ष/नियंत्रण अधिकारी उत्तरदायी होंगे तथा जन लेखा समिति के समक्ष जवाबदेह होंगे।**

अंकमिलान कार्य पूर्ण किए जाने के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय सारणी निर्धारित की हुई है और इस कार्य को निर्धारित समय पर पूर्ण कराने हेतु समय–समय पर नियंत्रण अधिकारियों से अनुरोध भी किया जाता रहा है।

अतः पुनः अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्यय के आंकड़ों का अंकमिलान कार्य **18 मई, 2018 तक** आवश्यक रूप से पूर्ण करवाकर महालेखाकार कार्यालय, राजस्थान से आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करावें तथा प्रमाण पत्र की एक प्रति इस विभाग को भी प्रेषित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(शरद मेहरा)
निदेशक(बजट)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर
2. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
3. समस्त विभागाध्यक्ष
4. अतिरिक्त निदेशक, वित्त(कम्प्यूटर सैल) विभाग को भेजकर लेख है कि कृपया इस पत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।

संयुक्त शासन सचिव (बजट)